संयुक्त श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 16.04.2025 को 03:00 बजे अपराह्न में अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ एवं अन्य यूनियन द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना को समर्पित विवादों के आलोक में आयोजित वार्ता की कार्यवाही।

<u>उपस्थिति :–</u>

प्रबंधन पक्ष

1. श्री विनोद प्रसाद – उप महाप्रबंधक, (कार्मिक), NBPDCL
   Mob No-7004163572
2. श्री राकेश कुमार – D.S., BSPHCL,
   Mob No-7763817311
3. श्री विजय कुमार – U.S., SBPDCL
   Mob No-7763813962
4. श्री अर्जुन कुमार – प्रधान लिपिक, SBPDCL
   Mob No-9199189084

कामगार पक्ष

1. श्री सुधीर चौधरी – अपर महामंत्री, बिहार स्टेट ई० सप्लाई वर्कर्स यूनियन,
   Mob No-9910228194
2. श्री डी०पी० यादव – उप महामंत्री, बिहार स्टेट ई० सप्लाई वर्कर्स यूनियन,
   विद्युत मजदूर भवन, दक्षिणी मंदीरी, पटना/
   महामंत्री, बिहार स्टेट इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड पेन्सनर्स फोरम,
   विद्युत मजदूर भवन, दक्षिणी मंदीरी, पटना/
   उप महामंत्री, अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ, उत्तर/
   पूर्व क्षेत्रीय कमिटी, Mob No-9934336044
3. श्री धर्म देव सिंह – उप महामंत्री (नार्थ), बिहार स्टेट ई० सप्लाई वर्कर्स यूनियन,
   दक्षिणी मंदीरी, पटना
   Mob No-9905914521
4. श्री अरविन्द कुमार – केन्द्रीय मंत्री–सह–अध्यक्ष, कम्पनी मु०, पटना,बि०स०ई०स०व०यु०
   Email-shashinirala85@gmail.com, Mob No-8083552389
5. श्री अशोक कुमार मिश्रा – कार्यकारिणी सचिव–सह–मीडीया प्रभारी कम्पनी मुख्यालय, पटना
   M.No-7903266557, Email-mishraashok973@gmail.com

सर्वप्रथम कामगार पक्ष द्वारा प्रबंधन पक्ष को समर्पित विवादों के आलोक में आयोजित वार्ता में उपस्थित सभी सदस्यों का संयुक्त श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात् संयुक्त श्रमायुक्त द्वारा वार्ता के एजेन्डा के अनुसार विवादवार वार्ता की गई।

i) तदेन विद्युत बोर्ड की अवधि से ही कार्यरत तकनीकी संवर्ग के अदक्ष श्रमिक एवं दक्ष श्रमिक को उच्चतर पद पर कार्यकारी प्रभार से वंचित रखना– इस संबंध में पूर्व में प्रबंधन पक्ष द्वारा बताया गया था कि नीतिगत निर्णय लेने हेतु संबंधित Section को कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया है। वर्तमान में उप सचिव, BSPHCL द्वारा बताया गया कि इस मामले पर निर्णय लेने हेतु Board of Directors के Agenda में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है।

उप सचिव, BSPHCL द्वारा इस संबंध में उचित जानकारी नहीं उपलब्ध कराये जाने के आलोक में यूनियन द्वारा अनुरोध किया गया कि अगली वार्ता में G.M. स्तर के पदाधिकारी भाग लें।

ii) लिपिकीय संवर्ग से अवनत कामगारों के समायोजन में आपके कार्यालय की दुर्भावनाग्रस्त मानसिकता के कारण न्याय नहीं मिलना– इसके संबंध में प्रबंधन पक्ष द्वारा बताया गया कि विधि विभाग से परामर्श प्राप्त हो चुका है। परन्तु परामर्श प्राप्त होने के उपरान्त Quorum पुरा नहीं होने के कारण Meeting नहीं हो सकी। प्रबंधन पक्ष अविलंब बैठक बुलाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगें।

iii) विद्युत आपूर्ति की सुव्यवस्था के रीढ़ मानवबल विद्युत कर्मी की उपेक्षा– इस संबंध में उप सचिव, BSPHCL द्वारा सूचित गया कि उनके द्वारा सभी संबंधितों को श्रम संसाधन विभाग के अधिसूचना का अक्षरशः अनुपालन करने हेतु निदेश दिया जा चुका है। परन्तु कामगार पक्ष द्वारा बताया गया कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तद्नुसार प्रबंधन पक्ष इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करेंगें।

iv) आपूर्ति के क्षेत्रों में स्थापित शक्ति उपकेन्द्रों में बटन–पट–चालकों से अकेला कार्य लेने की गलत प्रथा एवं वहां फ्युज कॉल सेन्टर की व्यवस्था से दुर्घटना में इजाफा– इसके संबंध में होल्डिंग यार्डस्टीक कमिटी से रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त किया जाय। अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है।

v) विद्युत मजदूरों / पेन्सनरों / मानवबलों /आउटसोर्सिंग मजदूरों / महिला कामगारों की दर्जनो कानून सम्मत समस्याएं– यह बिन्दु अनुपालित हो चुका है।

vi) विद्युत कर्मियों को बोनस/रात्रि पाली भत्ता एवं अन्य बकाये भुगतान –इसके संबंध में कामगार पक्ष द्वारा श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत देय लाभो को नहीं देने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सूची एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत मानवबलों की सूची प्रबंधन पक्ष को उपलब्ध करायी जाए एवं प्रबंधन पक्ष उसमें कारणपृच्छा करते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करेंगें।

vii) ग्रीड सबस्टेशनों/ विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों में आवास की अनुपलब्धता एवं आवासीय परिसर के दशा में सुधार –इसके संबंध में प्रबंधन पक्ष द्वारा बताया गया कि BSPTCL (Bihar State Power Transmission Company Limited) से प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। प्रतिवेदन के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

viii) सेवानिवृत्त कामगारों को मुफ्त बिजली उपभोग की सुविधा,

ix) सेवानिवृत कामगारों को चिकित्सा सुविधा,

x) स्थायी प्रकृति के कार्य में कार्यरत अस्थायी कर्मियों का स्थायीकरण,

xi) 01.04.2004 के बाद नियुक्त कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन नीति लागू करना,

xii) सेवानिवृत कर्मियों के एक आश्रित की नियुक्ति,

xiii) पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ए०सी०पी० लागू करने की तिथि समान करना– प्रबंधन पक्ष ACP/MACP लागू करने की तिथि समान करने हेतु समूचित विचार करके नये प्रस्ताव के साथ निर्णय से अवगत करायेंगें।

xiv) अनुकम्पा की नियुक्ति (सेवा शर्त) को बिजली बोर्ड में लागू सेवा शर्त की तरह करना– माननीय उच्च न्यायालय में दायर CWJC-2594/2007 में दिये गये आदेश का अनुपालन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रबंधन पक्ष द्वारा की जायेगी।

कंडिका– ix से xii के संबंध में प्रबंधन पक्ष द्वारा नियमानुसार क्रियान्वयन किया जायेगा।

उक्त के आलोक में पुनः दिनांक–27.05.2025 को अपराह्न 03:00 बजे वार्ता करने पर सहमति दी गई। तद्नुसार वार्ता की अगली तिथि दिनांक–27.05.2025 को अपराह्न 03:00 बजे निर्धारित की गई है। उभय पक्ष उपरोक्त बिन्दुओं पर की गई कार्रवाई के साथ विवादवार अपना–अपना पक्ष लेकर वार्ता में भाग लेंगे।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

21/4/25

(विजय कुमार)
संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–3/डी–13/2025 श्र०सं०– 2058 पटना, दिनांक– 21/4/25

प्रतिलिपि– अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/4/25

संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–3/डी–13/2025 श्र०सं०– 2058 पटना, दिनांक– 21/4/25

प्रतिलिपि– प्रबंधन पक्ष/कामगार पक्ष के सभी प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/4/25

संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–3/डी–13/2025 श्र०सं०– 2058 पटना, दिनांक– 21/4/25

प्रतिलिपि– आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/4/25

संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।